भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †455
दिनांक 02.12.2025 को उत्तरार्थ

विकेंद्रीकृत आयोजना और निधि का उपयोग

†455. श्री ससिकांत सेंथिलः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में जिला आयोजना समितियों के कामकाज और विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत निधि के उपयोग की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और निधि का समय पर और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने तथा स्थानीय नियोजन में अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. और

(ग) ज़िला वार्षिक विकास योजनाओं को तैयार करने में देरी, निधि का कम इस्तेमाल और जागीदारी में कमी को दूर करने के लिए क्या सुधार के उपाय किए गए हैं या सुझाए गए हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह)

(क) से (ग) भारत के संविधान के अनुच्छेद 243यघ में, प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर, जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए, एक जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान है। प्रत्येक जिला योजना समिति का अध्यक्ष, वह विकास योजना, जिसकी ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की जाती है, राज्य सरकार को भेजेगा। राज्य का विधान-मंडल, जिला योजना से संबंधित ऐसे कार्य जो उक्त समितियों को सौंपे जा सकते हैं, का उपबंध, विधि द्वारा, कर सकता है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में "पंचायतें" और "नगरपालिकाएँ", स्थानीय सरकार होने के कारण, दोनों ही राज्य का विषय हैं। इसलिए, जिला योजना समितियों के कामकाज की समीक्षा करना, स्थानीय नियोजन में अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करना और जिला वार्षिक विकास योजनाओं की तैयारी में जनभागीदारी की कमियों को दूर करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243यघ के खंड (3) के अनुसार, प्रत्येक जिला योजना समिति, विकास योजना प्रारूप तैयार करने में पंचायतों और नगरपालिकाओं के सामान्य हित के विषय का ध्यान रखेगी, जिनमें स्थानिक योजना, जल तथा अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा बंटाना, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण भी शामिल है, तथा उपलब्ध वित्तीय या अन्य संसाधनों की मात्रा और प्रकार का भी

ध्यान रखेगी।इसके अलावा, प्रत्येक जिला योजना समिति, विकास योजना प्रारूप तैयार करने में ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे। इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243यघ के अनुसार, विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत निधियों के उपयोग या कम उपयोग अथवा निधियों का समय पर और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने से संबंधित मामलों को जिला योजना समितियों को नहीं सौंपा गया है।

जहाँ तक पंचायती राज मंत्रालय का संबंध है, मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 13.11.2025 को एक परामर्शिका जारी की है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति का गठन, यदि पहले से ऐसा नहीं किया गया है तो, करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 243यघ के अनुरूप उनका प्रभावी संचालन, बिना किसी और देरी के, सुनिश्चित किया जाए।

इसके अतिरिक्त, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे स्पष्ट संचालन दिशानिर्देश जारी करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जिला योजना समितियाँ नियमित रूप से बैठकें करें, योग्य तकनीकी एवं योजना कर्मियों का सहयोग प्राप्त करें, पारदर्शी रूप से कार्य करें, उनकी कार्यवाही सार्वजनिक रूप से दस्तावेजीकरण हो, और उनकी निर्णयों एवं बैठकों के परिणामों की निगरानी होती रहे।

इसके अलावा, मंत्रालय ने दिनांक 13.11.2025 को एक परामर्शिका नीति आयोग, भारत सरकार को भी जारी की है, जिसमें राज्य योजना विभागों को सहभागी जिला योजना के लिए एक आदर्श ढाँचा विकसित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है, जिसमें मानकीकृत प्रारूप, डिजिटल उपकरण और प्रस्तुतिकरण एवं समीक्षा के लिए समय-सीमा शामिल हो।

*****